न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

2021
172

क्रमांक –रीडर/ 2022/255 दिनांक :–25/8/.2022

मुकदमा नंबर 118/21

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. राणा पुत्र हरा 2. मोटा पुत्र हरा 3. मोडा पुत्र हरा सभी जातियान राईका निवासी मलवा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		1. बाबुलाल पुत्र चन्द्रराम 2. रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम 3. सुरेश पुत्र चन्द्राराम 4. चुन्नीलाल पुत्र चन्द्राराम 5. सुआ पत्नी [illegible] सभी जातियान गुरडा 6. गीता पत्नी [illegible] 7. कृष्ण कुमार [illegible] गौतमचन्द 8. अनिता कुमारी पुत्री गौतमचन्द 9. देवी पुत्री गौतमचंद 10. जसवंती पुत्री गौतमचंद विप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 कुदरती वलीया जरिये माता गीतादेवी 11. चेतनराम पुत्र रामला 12. [illegible]राम पुत्र रामला 13. [illegible]राम पुत्र रामला 14. बाबूराम पुत्र रामला 15. [illegible] बैवा रामला 16. [illegible] वल्द पुरखिया 17. [illegible]राम पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल 18. [illegible] पुत्र [illegible]सिंह जाति राजपूत [illegible] पुराना वास तिलवाडा तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर । 19. [illegible] पत्नी मेहराज जाति जाट निवासी दुधवा डेर 20. [illegible] पत्नी दुर्गाराम जाति जाट निवासी – [illegible] तहसील बायतु जिला– बाडमेर 21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

आदेश दिनाक :– 25.8.2022

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा बोरावास पटवार क्षेत्र तिलवाडा भू–निरीक्षक क्षेत्र तिलवाडा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 34 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा कुल रकबा 46 बीघा 03 विस्वा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
दिनांक :– 25/8/22

क्रमांक /रीडर/ 2022/256

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे,साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 17:22:44 IST
Reason: SelfAttested